

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

3

अपील संख्या

12/31/2018

प्रवेश तिथि

31-01-2018

निर्णय दिनांक

07-05-2018

- 01- रामजीलाल पुत्र फूला गुर्जर आयु करीब 60 साल
02- सभाचन्द पुत्र फूला गुर्जर आयु करीब 65 साल
03- ताराचन्द पुत्र फूला गुर्जर आयु करीब 55 साल निवासीयान ग्राम बबेरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

अपीलाण्ट

बनाम

- 01- तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर
दिनांक 09.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 424/2017

उपस्थित:-

- 01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.01.2018 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम बबेरा की किस्म चारागाह आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 4.36 है0 में से 0.35 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बबेरा की किस्म चारागाह आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 4.36 है0 में से 0.35 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 24.01.2018 में कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का बुटेरी द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

